कार्यालय अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी, उत्तराखण्ड, देहरादून।

सेवा में,

अपर प्रमुख वन संरक्षक (केन्द्रीय),
भारत सरकार,
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय,
क्षेत्रीय कार्यालय एफ0आर0आई0,
देहरादून।

विषयः– जनपद– टिहरी गढवाल के अन्तर्गत ग्राम गूलर से विद्युत आपूर्ति हेतु 33–11 के0वी0 विद्युत उप संस्थान के निर्माण हेतु । **FP/UK/OTHER/10660/2015**

महोदय,

विषयांकित प्रकरण के सम्बन्ध में वन संरक्षक, भागीरथी वृत्त, टिहरी, उत्तराखण्ड, के पत्रांक 1269/12–1(2) दिनांक 02–01–2017 से प्राप्त आख्या के क्रम में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा प्रेषित बिन्दुवार आख्या मय संलग्नक सहित निम्न प्रकार प्रेषित की जा रही है :–

क्र0सं0	प्रश्न	उत्तर
1	In the reply to point no.2, it is mentioned that authority letter was already attached in the proposal in the past. But it is seen from Para-A-3 of online Part-I that the authority letter is issued in favour of shri Amit Kumar but the online application is made by shri shakti Prasad.	बिन्दु सं0–01 के अनुपालन में प्रस्तावक विभाग द्वारा अवगत कराया गया कि जिस समय प्रस्ताव गठित किया गया श्री अमित कुमार अधिशासी अभियन्ता विद्युत वितरण खण्ड थे किन्तु जब प्रस्ताव ऑनलाईन किया गया ततसमय उनका हस्तान्तरण हो गया तथा उनके स्थान पर श्री शक्ति प्रसाद जी विद्युत वितरण खण्ड उनके स्थान पर आ गये जिस कारण प्रस्तावक विभाग द्वारा भाग–1 में श्री अमित कुमार को प्रस्ताव अपलोड़ करने हेतु नामित किया गया था। किन्तु अब प्रस्तावक विभाग द्वारा संशोधित अथोरटी पत्र भाग –1 के पैरा A.3 में अपलोड़ कर दिया गया है।
2	In reply to point no-4 it is mentioned that the certificate about NPV calculation is attached as additional documents in online Part-I. but NPV calculation sheet showing ECO class & density of the forest land proposed for diversion and the NPV rate charged has not been found uploaded in additional documents in online Part-I.	बिन्दु सं0–2 के अनुपालन में अवगत कराना है कि प्रस्तावित परियोजना सिगटाली कक्ष सं0–01 से होकर गुजरेगी जिसका घनत्व 03 है। Revision of rates of NPV applicable for differnect class/category of forests के पृष्ठ सं0.18 में दिये गये विवरणानुसार 0.10 से 0.40 के मध्य घनत्व क वनो को Open forest के श्रेणी में दिया गया है। अतः प्रस्तावित परियोजना क्षेत्र का औसत घनत्व 0.40 होने के कारण NPV दरे open forest के अनुसार भाग.2 के Serial no -13 में संशोधित कर दिया गया है।

3	In reply to point no.6 of EDS it is mentioned that the forest land has been selected for substain because no other suitable land is available neat the proposed site. But the details note containing justification for location projects in forest land is still not attached in Para-D (i) of online Part-I Moreover, this is non-site specific projects which can be established anywhere in the area.	बिन्दु सं0 03 के अनुपालन में प्रस्तावक विभाग द्वारा अवगत कराया गया है कि ग्राम–मूलर विघुत उप संस्थान के निर्माण हेतु विघुत भार को सही प्रकार से वितरण करने की दृष्टि से उर्पयुक्त स्थल है। उक्त स्थल से अलग–अलग विघुत फीडर निकालना सम्भव है जिससे कि जनमानस को इस उपसंस्थान के निर्माण के पश्चात विघुत आपूर्ति बेहतर रूप से मिल सकेगी।
4	In reply to point no-7 of EDS it is mentioned that necessary corrections has been made in para-14 of online Part 2 and the information about forest land diverted. CA stipulated and progress of CA has also been provided in the prescribed format given by the regional office. But it is seen from the data given in Para-14 of online Part-2 that forest land diverted, CA stipulated and progress of CA is 652.467 ha 902.85ha and 902.85ha Respectively, whereas these given as 652.467ha, For the forest land diverted 1156.246 ha, for the CA stipulated and 902.85ha. for the CA stipulated & 902.85ha fot the progress of CA in the format. this, it is seen that the data given about CA stipulated in Part-14 of online Part-2 and the format do not tally. Moreover, the CA stipulated is not commensurate to the forest land diverted.	बिन्दु सं0–4 के क्रम मे अवगत कराना है, कि नरेन्द्रनगर वन प्रभाग के अन्तर्गत अब तक कुल 652.467 है0 वन भूमि हस्तान्तरित हुई है। जिसमें 74.344 है0 वन भूमि 1 है0 से कम के है तथा कुल 578.123 वन भूमि 1 हे0 से अधिक है जिसके सापेक्ष क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु हस्तान्तरित वन भूमि के बदले 1156.246 हे0 में सिविल भूमि वृक्षारोपण हेतु प्रस्तावित है। जिसके सापेक्ष विभाग द्वारा 902.85 है0 की प्रगति रिर्पोट प्रस्तुत की गयी जिसमें (आरक्षित वन भूमि में 298.00 हे0 एंव सिविल वन भूमि में 604.85 हे0) सम्मिलित है। तथा संशोधित District Profile Part II के serial no 13 के क्रम सं0 3 में अपलोड़ कर दी गयी है।
5	In reply to point no-8 of EDS, it is mentioned that the forest land proposed for diversion is kept in the social and Economic management working Circle but no such working circle is proposed in the traft working Plan (2013-2014 to 2022-2023) of Narendra Nagar Forest Divison.	बिन्दु सं0.05 के क्रम में अवगत कराना है कि क्रम सं0–08 में त्रुटिवश सामाजिक एंव आर्थिक कार्यवृत्त लिखा गया था जो अब सालवन सर्मवधन कार्यवृत्त योजना में रखा गया है। तद्नुसार भाग–2 के क्रम स0.08 में संशोधन कर दिया गया है।

भवदीय,

(विनोद कुमार)

अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी